

2018/00069

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

मिसल न० 36 / प्रा०पत्र / 18

कैलाशचन्द आ० हरिनारायण जाति ब्राह्मण नि० पडासली तहसील पिड़ावा
बनाम
राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पिड़ावा

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार पिड़ावा मिसल न० 1436 / 17 निर्णय दिनांक
16.11.2017

प्रा०पत्र स्थगन आदेश

प्रा०पत्र मूल अपील के साथ प्रस्तुत हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से ऐसे कोई ठोस तथ्य दर्शित नहीं होते हैं जिस कारण प्रा०पत्र के माध्यम से प्रार्थी को किसी तरह का अनुतोष दिया जा सके। इस दशा में प्रा०पत्र के माध्यम से प्रार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रा.पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर मूल अपील के सलंगन हो।


जिला कलक्टर
झालावाड़